

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 1235] No. 1235] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 30, 2013/ज्येष्ठ 9, 1935

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 30, 2013/JYAISTHA 9, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2013

का.आ. 1392(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 10-01-2013 की सं. का.आ. 119(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपित्तयां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

- 2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपितयों/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है; और यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 3. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

मंशोधन

जोन 'एफ' में निम्नलिखिल क्षेत्रों के भूमि उपयोग को निम्न स्चीबद्ध विवरणानुसार परिवर्तित किया जाता है।

2424 GI/2013

स्थान	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग (अब से)	भूमि उपयोग में परिवर्तन	क्षेत्र की सीमाएं
1.ए-14, कालकाजी एक्सर्टेशन (जोन 'एफ' में सामुदायिक केन्द्र के लिए निर्धारित प्लाट	3.068 हैक्टेयर	सामुदायिक केन्द्र (टयावसायिक)	आवासीय	उत्तरः 30 मीटर चौड़ी सड़क दक्षिणः पार्क पूर्व : जिला पार्क पश्चिमः 13.5 मीटर चौड़ी सड़क
2.ए-14, कालकाजी एक्सर्टेशन (जोन 'एफ') में आवासीय भूमि के लिए निर्धारित प्लाट	3.068 हैक्टेयर	आवासीय	सामुदायिक केन्द्र (ट्यावसायिक)	उत्तरः 30 मीटर चौड़ी सड़क दक्षिणः आवासीय पूर्वः आवासीय पश्चिमः 30 मीटर चौड़ा गुरु रविदास मार्ग

[सं. के-13011/7/2012-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (DELHI DIVISION) NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2013

- S.O. 1392(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice was issued *vide* S.O. 119(E) and published on 10-1-2013 for inviting objection/suggestion by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section IJ-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications were duly considered by the competent authority and whereas the Central Government, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan of Delhi-2021.
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following areas in Zone 'F' is changed as per description listed below:

Location	Area	Land Use (From)	Land Use changed to	Boundaries

1. The plot earmarked for Community Centre at A-14, Kalkaji Extn. (Zone 'F').	3.068 ha	Commercial (Community Centre)	Residential	North: 30 M wide road South: Park East: District Park West: 13.5 M wide road
2. The plot earmarked for residential at A-14, Kalkaji Extn. (Zone 'F').	3.068 ha	Residential	Commercial (Community Centre)	North: 30 M wide road South: Residential East: Residential West: 30 M wide Guru Ravi Dass Marg

[No. K-13011/7/2012-DD.I] SUNIL KUMAR, Under Secy.